भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 568
गुरूवार, 21 **जुलाई, 2022/30 आषाढ़**, **1944 (शक)**

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

568. श्रीमती मौसम नूरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, यदि हां, तो की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पुरुष कर्मचारियों की तुलना में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महिला कर्मचारियों का कितना योगदान है;

(घ) देशभर में कामकाजी महिलाओं के प्रतिशत का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि उच्च पदों पर महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 की उपलब्ध नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरूष और महिला दोनों की कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 73.5% एवं 31.4% थी। इसके अलावा, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध पर है।

इसके अलावा, दिनांक 12.07.2022 तक, स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के कुल पंजीकरण में से 52.84% महिलाएं हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्य सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में, समान कार्य या समान प्रकृति के कार्यों, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय पर लागू कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

पीएलएफएस रिपोर्ट, 2020-21 के अनुसार, विधायक, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों के रूप में काम करने वाली सामान्य स्थिति में महिला श्रमिकों का पुरुष श्रमिकों की तुलना में अनुपात 22.2% है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 21.07.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 568 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 में सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	महिला डबल्यूपीआर (% में)
1	आंध्र प्रदेश	43.9
2	अरुणाचल प्रदेश	25.1
3	असम	22.9
4	बिहार	10.4
5	छत्तीसगढ	53.2
6	दिल्ली	12.9
7	गोवा	23.5
8	गुजरात	32.4
9	हरियाणा	18.1
10	हिमाचल प्रदेश	61.1
11	झारखंड	43.6
12	कर्नाटक	34.9
13	केरल	28.2
14	मध्य प्रदेश	40.1
15	महाराष्ट्र	35
16	मणिपुर	20.1
17	मेघालय	50.5
18	मिजोरम	40.2
19	नागालैंड	38.5
20	उड़ीसा	32.2
21	पंजाब	21.1
22	राजस्थान	39
23	सिक्किम	60.6
24	तमिलनाडु	40.8
25	तेलंगाना	43.4
26	त्रिपुरा	29.9
27	उत्तर प्रदेश	29.9
28	उत्तराखंड	21.9
29	पश्चिम बंगाल	28.1
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	37.4
31	चंडीगढ़	23.2
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	30
34	जम्मू और कश्मीर	39.9
35	लद्दाख	66.3
36	लक्षद्वीप	12.5
37	पुडुचेरी	26.9
अखिल भारत		31.4

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय